

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/104/2021

डा0 राकेश कुमार शर्मा म0न0 38-39 बैंक ऑफ बडौदा के सामने सरस्वती नगर कायड रोड घूघरा अजमेर राज0।

बनाम

तहसीलदार, बयाना

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 18.01.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि डा0 राकेश कुमार शर्मा म0न0 38-39 बैंक ऑफ बडौदा के सामने सरस्वती नगर कायड रोड घूघरा अजमेर राज0 ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2021 से प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। जो तहसीलदार बयाना को आर.टी.आई.एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अन्तरित की गई है। अपीलार्थी को तहसीलदार बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/05 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा तहसीलदार बयाना से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध तहसीलदार बयाना से पत्र क्रमांक/एलआर/22/216 दिनांक 18.01.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाएँ तहसीलदार बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने तहसीलदार बयाना से सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/एलआर/22/216 दिनांक 18.01.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बयाना ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना पत्र क्रमांक एलआर/2021/4470 दिनांक 28.12.2021 व डाक रसीद की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पों. ने अपीलान्त को वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार बयाना से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को भी भेजी जावे।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर